न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 150/2020 (2020/00150)

बलवीर पुत्र श्री भैरूसिह जाति राजपूत निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमागनढ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. राजेराम पुत्र हरनारायण जाति जाट निवीस गुडिया तहसील नोहर।
2. दाखा पत्नी निकुराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. धन्नाराम पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
4. निराणी पत्नी हरिसिंह जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नेाहर।
5. भागीरथ पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी गुड़िया तहसील नेाहर।
6. सतीश कुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
7. हरिसिंह पुत्र नन्दराम जाति जाट निवीस गुडिया तहसील नोहर।
8. औमप्रकाश पुत्र दानाराम जाति जाट निवीस गुडिया तहसील नोहर।

–असल रेस्पोडेण्ट्स

9. भैरूसिंह (नाम कलमजन)

9/1 सोना देवी पत्नी भेरूसिंह जाति राजपूत निवासी गुडिया तहसील नोहर।

9/2 गुड्डी पुत्री भेरूसिंह जाति राजपूत निवासी गुडिया तहसील नोहर।

10. छोटूसिंह पुत्र भेरूसिंह जाति राजपूत निवासी गुडिया तहसील नोहर।

11. तारा सिंह पुत्र भेरूसिंह जाति राजपूत निवासी गुडिया तहसील नोहर।

––तरतीबी रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी नोहर, दिनाक 29.1[illegible] सं. 07/2019

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:34:54 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उपस्थितिः—

श्री रविन्द्र गोदारा, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री हवा सिंह पूनिया, अभिभाषक रेस्पोडेंट्स सं0 1

श्री राजपल झोरड़ अभिभाषक रेसपेडेंट्स सं0 6

श्री अशोक कुमार सिहाग रेस्पो0 सं0 9/2, 10, 11

निर्णय दिनांक 24.11.2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान कातश्कारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत एक प्राथ्रना–पत्र पेश किया जिसमें कथन कियाकि प्रार्थी तथा सहकाश्तकार की चक 14 जेएसएन में कुल 4.8070 है0 भूमि है जिमसें प्रार्थीगण का 126/2/3 हिस्सा तथा असल अप्रार्थीगण का चक 14 जेएसएन में 3.5160 है0 भूमि खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी ने अपने खेत में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण आने जाने में बहुत परेशानी होना बताया तथा कथन कियाकि अप्रार्थी की भूमि के मु0 नं0 85 के किला नं. 22 से 25 के दक्षिण की तरफ से प0 नं0 लाईन पर स्वीकृत शुदा रास्ता है जिस से होकर प्रार्थी अपने खेत में आवागमन करने के लिए अप्रार्थी के किला नं. 25 में जाना पड़ता है जहॉ से रास्ता स्वीकृत नहीं होने के कारण अप्रार्थी आवागमन में बाधा उत्पन्न करता है इसलिए प्रार्थी के अपने खेत में आवागमन हेतु अप्रार्थी के किला नं. 25 में से एक गट्ठा यानि 8–1/4 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28.10.2016 के द्वारा प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया। जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अप्रार्थी ने प्रस्तुत की जो आंशिक स्वीकार की गई एवं इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण का रास्ता स्वीकृति के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त वैकल्पिक रास्ता से प्रभावित काश्तकारों को आवश्यक पक्षकार संयोजित करते हुए उभयपक्षों को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावें

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:34:54 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2. प्रकरण रिमाण्ड होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.10.2020 के द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने पुनः यह अपल पेश की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय ने रिमाण्ड होने के बाद आवश्यक पक्षकारों को जोड़ते हुए उपर की अदालत के निर्देशानुसार दिनांक 06.07.2020 को मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा उक्त मौका रिपोर्ट में मौके पर सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नही किया तथा उक्ता मौका रिपोर्ट में अन्य वैकल्पिक रास्ता के बारे में कोई जांच नहीं की गई तथा ना ही कोई उनकी सहमति के हसताक्षर है तथा विधि विरूद्ध रूप में निर्णय पारित किया गया है इस आदेश से अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानूनन नियम, वाक्या व रूहे दाद मिसल है तथा विधि की भंयकर अवहेलना में पातिर किया गया है। सभी सह खातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया, सिंचाई विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया है। उपर की बदालत के निर्देशों की पालना नहीं करते हुए कतई मनमाना स्वैच्छाचारी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि उसकी भूमि में आवागन हेतु कोई रास्ता नहीं हे। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी सह खातेदारों को पक्षकार बनाकर, मौका रिपोर्ट लेकर उभयपक्षों को सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया हैं। हमने रास्ता स्वीकृति का आवेदन किया है खाला की भूमि को रास्ता नही बना रहे हैं, किस्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। रेस्पोडेण्ट सं0 1 को हैरान परेशान करने के लिए अपीलाण्ट बार बार अपील पेश कर रहा है, जो उचित नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या स0 6 ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:34:54 IST
Reason: SelfAttested

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या [illegible] बहस का समर्थन करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेण्ट [illegible] 25 में से ना जाकर मु0 नं0 86 के किला नं. 21 में से आवागमन करता [illegible] है। प्रार्थी की मु0 नं0 86 में

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

ढाणी व ट्यूबवैल है तथा ढाणी में जाने के लिए मु0 नं0 86 के किला नं. 21 में से होकर सुविधाजनक रास्ता है। मु0 नं0 85 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 में खाला है जो सिंचाई विभाग द्वारा पक्का निर्माण किया गया है कानूनी तौर से मुरब्बा के पश्चिम की तरफ रास्ता व पूर्व तरफ खाला होता है इसलिए गैर0 मु0 खाला को गै0 रास्ता मे परिवर्तन करवाने क लिए सिंचाई विभाग को पक्षकार बनाया जाना जरूरी है तथा धारा 251 ए आरटीएक्ट में गै0 मु0 खाला की भूमि को रास्ता मे में परिवर्तन करने का अधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

8. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

9. रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान कातश्कारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें अपने खेत में आवागमन हेतु अप्रार्थी के किला नं. 25 में से एक गट्ठा यानि 8–1/4 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाने का अनुतोष मांगो। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28.10.2016 के द्वारा प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया। जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अप्रार्थी ने प्रस्तुत की जो आंशिक स्वीकार की गई एवं इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण का रास्ता स्वीकृति के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त वैकल्पिक रास्ता से प्रभावित काश्तकारों को आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित करते हुए उभयपक्षों को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित किया जावें। प्रकरण रिमाण्ड होने पर अधीनस्थ न्यायलाय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.10.2020 के द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने पुनः यह अपील पेश की है।

10. अपीलाण्ट की अपील का मुख्य [illegible] अदालत के निर्देशों की पालना नही की गई। मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक [illegible] बारे में कोई जांच नही की गई अपीलाण्ट को मौका पर सुनवाई के [illegible] कोई नोटिस जारी नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रिप[illegible] आईएलआर परलीका दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:34:54 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

06.07.2020 संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस मौका रिपोर्ट के आधार यह माना है कि मु0 नं0 85 का किला नं. 25 अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है जो स्वीकृत रास्ते से जुड़ता है एवं अप्रार्थी के किला नं. 25 में खाला बना हुआ है प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए अप्रार्थी के किला नं. 25 में से पक्का खाले से पूर्व के साथ–साथ रास्ता स्वीकृत करने से प्रार्थी अपने खेत में पहुंच जाता है जिससे प्रार्थी को पुलिया का निर्माण नही करना होगा। प्रार्थी / रेस्पोडेण्ट का खेत खाले के दोनों तरफ है प्रार्थी अपने खेत के दूसरे हिस्से में जाने के लिए पक्के खाले पर अपनी सुविधाअनुसार अपनी व्यय से पुली का निर्माण करवा सकता है क्यों कि किला नं. 5, 6, 15, 16 तक पक्के खाले के दोनों तरफ प्रार्थी स्वयं की खातेदारी भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय ने आईएलआर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित माना है। खाले के उपर से रास्ता जाना या पुली निर्माण करना खाले की भूमि की किस्म परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आता है। प्रकरण रिमाण्ड होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.10.2020 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/XI/21
(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:34:54 IST
Reason: SelfAttested